

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-82/2007(खण्ड-1)

/कृ०, पटना, दिनांक

2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री श्रवण कुमार,
मेसर्स हिन्दुस्तान कृषि रसायन,
द्वितीय फेज इन्डस्ट्रीयल एरिया,
फतुहा, जिला-पटना-803021

विषय :- कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या-20 दिनांक 28.08.2008 वैधता तिथि 31.12.2015 में Endorsment के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नांकित कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या-20 दिनांक 28.08.2008 वैधता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत Endorsment किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम	क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	Carbendazim 46.27%SC	29	Metribuzin 70% WP
2	Pyriothiac-sodium 10% EC	30	Sulphur 40% SC
3	Sulphur 80% W.P	31	Thiophanate Methyl 70% WP
4	Hexaconazole 4% +Zineb 68% WP	32	Pendimethalin 30% EC
5	Indoxacarb 14.5%+Acetamiprid 7.7 w/w SC	33	Bifenthrin 10% EC w/w
6	Phosphamidon 40% SL	34	Quinalphos 25% EC
7	Pretilachlor 37% w/w EW	35	Triazophos 40% EC
8	Lambda-Cyhalothrin 4.9% Capsule Suspension	36	Isoproturon 75% W.P
9	Captan 70%+Hexaconazole 5% WP	37	Bipenthein 2.5% EC
10	Tebuconazole 25.9% EC	38	Paraquat Dichloride 24% SL
11	Metalaxyl M 31.8% ES	39	Imidacloprid 70% WS
12	Cypermethrin 0.25% DP	40	Monocrotophos 36% SL
13	Hexaconazole 5% SC	41	Tricyclazole 18%+Mancozeb 62% WP
14	Acetamiprid 20% SP	42	Indoxacarb 15.8 % EC
15	Pretilachlor 30.7% EC	43	Butachlor 50% EW
16	Thiamethoxam 30% FS	44	Lufenuron 5.4% EC
17	Lambdacyhalothrin 5% EC	45	Pretilachlor 50% EC
18	Tricyclazole 75% WP	46	Fipronil 5% SC
19	Fenobucarb (B.P.M) 50% EC	47	Atrazine 50% WP
20	Carbosulfan 25% EC	48	Clodinafop-Propargyl 15% WP
21	Bifenthrin 10 WP w/w	49	Emamectin Benzoate 5% SG
22	Thiamethoxam 25% WG	50	Chlorpyrifos 50% EC
23	Fipronil 0.3% GR	51	Flubendiamide 39.35 % m/m SC
24	Prallethrin 1.6%liquid Vapouriser	52	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG
25	Sulphur 80% WDG	53	Difenoconazole 25% EC
26	Deltamethrin 0.72%w/w+Buprofezin 5.65% w/w EC	54	Zinc Phosphide 80% w/v
27	Dichlorvos 76% EC	55	Copper Oxychloride 50% WP
28	Propiconazole 25% EC	56	2,4-D Amine Salt 58% SL

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स हिन्दुस्तान कृषि रसायन,द्वितीय फेज इन्डस्ट्रीयल एरिया, फतुहा, जिला-पटना-803021

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

- ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1918 /क०, पटना, दिनांक 20.04.2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।